

**अनुदान संख्या 10 - वाणिज्य विभाग**  
**GRANT No. 10-DEPARTMENT OF COMMERCE**

	कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
			(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
<b>राजस्व:</b>	<b>Revenue:</b>		
प्रभारित-	<i>Charged-</i>		
मूल	Original 50,00	51,00	50,99
पूरक	Supplementary 1,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	<i>Amount surrendered during the year</i>		शून्य Nil
स्वीकृत-	<i>Voted-</i>		
मूल	Original 2823,74,00	4335,51,00	4289,06,88
पूरक	Supplementary 1511,77,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	<i>Amount surrendered during the year</i>		18,10,99
<b>पूंजीगत:</b>	<b>Capital:</b>		
स्वीकृत-	<i>Voted-</i>		
मूल	Original 711,00,00	711,01,00	609,78,54
पूरक	Supplementary 1,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	<i>Amount surrendered during the year</i>		98,01,00

**टीका और टिप्पणियां**

1. अनुदान के राजस्व भाग के प्रभारित अंश में, 1.41 लाख रु. का विनियोग (अक्टूबर, 2008 में प्राप्त किए गए 1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक विनियोग सहित) मुख्य शीर्ष "3453" - "विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन" के अंतर्गत एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

**Notes and comments**

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, *appropriation* of Rs.1.41 lakhs (including token supplementary *appropriation* of Rs.1.00 lakh obtained in October, 2008) remained wholly unutilised in one case under Major Head "3453" - "Foreign Trade and Export Promotion".

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः-

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"			
सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Secretariat - Economic Services			
मू.	O.	4310.00		
पू.	S.	727.00	5495.35	5374.91
पु.	R.	458.35		-120.44
मुख्य शीर्ष "2057"	Major Head "2057"			
पूर्ति तथा निपटान	Supplies and Disposals			
मू.	O.	5130.00		
पू.	S.	1238.00	7166.43	7135.97
पु.	R.	798.43		-30.46
मुख्य शीर्ष "2407"	Major Head "2407"			
बागान	Plantations			
मू.	O.	35725.00		
पू.	S.	694.00	43523.83	43216.98
पु.	R.	7104.83		-306.85
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"			
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas			
मू.	O.	10200.00		
पु.	R.	-10200.00	..	..
मुख्य शीर्ष "3453"	Major Head "3453"			
विदेश व्यापार तथा निर्यात संवर्धन	Foreign Trade and Export Promotion			
मू.	O.	227009.00		
पू.	S.	148518.00	375554.40	373179.02
पु.	R.	27.40		-2375.38

(I) 10605.00 लाख रु. का प्रावधान ग्यारह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 10200.00 लाख रु. मुख्य शीर्ष "2552" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) "चाय - अन्य व्यय" -

(क) "चाय उत्पादकों और अन्यो को सहायता" - 5200.00 लाख रु.;

(ख) "अनुसंधान और विकास" - 800.00 लाख रु.;

(खा) "काफी - अन्य व्यय - काफी उत्पादकों और अन्य को सहायता" - 1200.00 लाख रु.;

(गा) "रबड़ - अन्य व्यय - रबड़ उत्पादकों और अन्य को सहायता" - 2500.00 लाख रु. और

(घा) "मसाले - अन्य व्यय - मसाला उत्पादकों और अन्य को सहायता" - 500.00 लाख रु.।

उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों/आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) अक्टूबर, 2008 दिसंबर, 2008 और फरवरी, 2009 में मुख्य शीर्ष "3453" के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के सामने दर्शाए गए अनुसार पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(का) "निर्यात संवर्धन स्कीमों का प्रशासन" -

(क) "फाल्टा निर्यात संसाधन क्षेत्र" - 338.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 50.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 388.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 50.30 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) हुई;

(I) Provision of Rs.10605.00 lakhs remained wholly unutilised under eleven heads; of these Rs.10200.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" - under the following heads:-

(A) "Tea - Other Expenditure" -

(a) "Assistance to Tea growers and others" - Rs.5200.00 lakhs;

(b) "Research and Development" - Rs.800.00 lakhs;

(B) "Coffee - Other Expenditure - Assistance to Coffee growers and others" - Rs.1200.00 lakhs;

(C) "Rubber - Other Expenditure - Assistance to Rubber growers and others" - Rs.2500.00 lakhs; and

(D) "Spices - Other Expenditure - Assistance to Spices growers and others" - Rs.500.00 lakhs.

Provisions under the above five heads remained unutilised due to re-appropriation of funds/part funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Supplementary grant obtained under Major Head "3453" in October, 2008, December, 2008 and February, 2009 - remained wholly unutilised under the following heads as shown against each:-

(A) "Administration of Export Promotion Schemes" -

(a) "Falta Export Processing Zone" - the original provision of Rs.338.00 lakhs was augmented to Rs.388.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.50.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.50.30 lakhs (including supplementary grant);

- (ख) “जयपुर विशेष आर्थिक क्षेत्र” - 41.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 8.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 49.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 12.73 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) हुई;
- (ग) “मणिकान्चन विशेष आर्थिक क्षेत्र” - 51.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 9.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 60.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 10.99 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) हुई;
- (घ) “महा मुंबई विशेष आर्थिक क्षेत्र” - 40.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 6.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 46.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 37.68 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) हुई; और
- (ङ) “जोधपुर विशेष आर्थिक क्षेत्र” - 30.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 7.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 37.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 14.79 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) हुई।

उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत बचतें रिक्त पदों को न भरे जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुईं।

(खा) “अन्य व्यय - संस्थाओं को सहायता” - 1525.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 273.50 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1798.50 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 337.50 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) कार्यान्वयन अभिकरणों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(III) अक्टूबर, 2008 दिसंबर, 2008 और फरवरी, 2009 में मुख्य शीर्ष “3453” के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा के अनुसार अप्रयुक्त रहा:-

- (b) “Jaipur Special Economic Zone” - the original provision of Rs.41.00 lakhs was augmented to Rs.49.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.8.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.12.73 lakhs (including supplementary grant);
- (c) “Manikanchan Special Economic Zone” - the original provision of Rs.51.00 lakhs was augmented to Rs.60.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.9.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.10.99 lakhs (including supplementary grant);
- (d) “Maha Mumbai Special Economic Zone” - the original provision of Rs.40.00 lakhs was augmented to Rs.46.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.6.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.37.68 lakhs (including supplementary grant); and
- (e) “Jodhpur Special Economic Zone” - the original provision of Rs.30.00 lakhs was augmented to Rs.37.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.7.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.14.79 lakhs (including supplementary grant).

Savings under the above five heads were due to non-filling up of vacant posts and economy measures.

(B) “Other Expenditure - Assistance to Institutions” - the original provision of Rs.1525.00 lakhs was augmented to Rs.1798.50 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.273.50 lakhs. However, there was a saving of Rs.337.50 lakhs (including supplementary grant) - due to receipt of less proposals from the implementing agencies.

(III) Supplementary grant obtained under Major Head “3453” in October, 2008, December, 2008 and February, 2009 - also remained unutilised under the following heads to the extent as shown against each:-

(का) “व्यापार प्रतिनिधित्व - व्यापार आयुक्त” - 8000.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 1350.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 9350.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो 689.71 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा;

(खा) “व्यापार सूचना और सांख्यिकी - वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशक” - 1395.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 258.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1653.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो 56.67 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा; और

(गा) “निर्यात सवर्धन स्कीमों का प्रशासन - सांता क्रूज विशेष आर्थिक क्षेत्र” - 654.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 94.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 748.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो 57.79 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें रिक्त पदों के न भरे जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुईं।

(IV) मुख्य शीर्ष “2407” - “चाय” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) “अन्य व्यय” -

(क) “चाय बोर्ड” - 300.50 लाख रु. की बचत (अक्तूबर, 2008 में प्राप्त किए गए 0.50 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 2000.50 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ख) “चाय सेक्टर के लिए विकास निधि के अंतर्गत चाय बोर्ड को अदायगी” - 668.06 लाख रु. की बचत (1074.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें कार्यान्वयन अभिकरणों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुईं।

(A) “Trade Representation – Trade Commissioners” – the original provision of Rs.8000.00 lakhs was augmented to Rs.9350.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.1350.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.689.71 lakhs;

(B) “Trade Information and Statistics – Director General of Commercial Intelligence and Statistics” – the original provision of Rs.1395.00 lakhs was augmented to Rs.1653.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.258.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.56.67 lakhs; and

(C) “Administration of Export Promotion Schemes – Santa Cruz Special Economic Zone” – the original provision of Rs.654.00 lakhs was augmented to Rs.748.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.94.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.57.79 lakhs.

Savings under the above three heads were due to non-filling up of vacant posts and economy measures.

(IV) Under Major Head “2407” - “Tea” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Other Expenditure” -

(a) “Tea Board” – saving of Rs.300.50 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.2000.50 lakhs including token supplementary grant of Rs.0.50 lakh obtained in October, 2008); and

(b) “Payment to Tea Board under Development Fund for Tea Sector” – saving of Rs.668.06 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1074.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to receipt of less proposals from implementing agency.

(खा) “काफी - बागान के लिए आर्थिक सहायता - काफी बोर्ड” - 2822.17 लाख रु. की बचत (6000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मौसम बीमा स्कीम के अंतर्गत प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष “3453” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) “अंतर्राष्ट्रीय सहयोग” -

(क) “विश्व व्यापार संगठन को अंशदान” - 175.27 लाख रु. की बचत (650.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विश्व व्यापार संगठन से अंशदानों के लिए कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(ख) “अन्य संगठन” - 486.18 लाख रु. की बचत (750.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वर्धित एकीकृत निधि न्यास संबंधी अंशदानों के लिए दावे प्राप्त न होने के कारण हुई।

(खा) “अन्य व्यय” -

(क) “समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण” - 1037.00 लाख रु. की बचत (10500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निष्पादन अधिकरण से कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(ख) “क्यूबा को निर्यात संबंधी देयताओं का निपटान” - 15726.66 लाख रु. की बचत (28200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) क्यूबा को निर्यात संबंधी देयताओं के निपटान के रूप में कार्यान्वयन अधिकरण द्वारा कम प्रक्षेपण किए जाने के कारण हुई।

(VI) एक शीर्ष के अंतर्गत 80.64 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 81 प्रतिशत थी।

3.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (18837.67 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं

(B) “Coffee – Subsidy for plantation – Coffee Board” - saving of Rs.2822.17 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6000.00 lakhs) was due to non-receipt of proposals under Weather Insurance Scheme.

(V) Under Major Head “3453” - savings occurred under the following heads:-

(A) “International Cooperation” -

(a) “Contributions to World Trade Organisation” – saving of Rs.175.27 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.650.00 lakhs) was due to receipt of less claims for contributions from World Trade Organisation.

(b) “Other Organisations” – saving of Rs.486.18 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.750.00 lakhs) was due to non-receipt of claims for contributions towards Enhanced Integrated Fund Trust.

(B) “Other Expenditure” -

(a) “Marine Products Export Development Authority” – saving of Rs.1037.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.10500.00 lakhs) was due to receipt of less claims from the implementing agency.

(b) “Settlement of dues for exports to Cuba” – saving of Rs.15726.66 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.28200.00 lakhs) was due to less projections by implementing agency as settlement of dues for exports to Cuba.

(VI) Under one head saving of Rs.80.64 lakhs occurred constituting 81 percent of the sanctioned provision.

3.(I) The above savings were partly (Rs.18837.67 lakhs) utilised for augmenting the

जैसा कि अक्टूबर, 2008 और फरवरी, 2009 में निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत 54781.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of Rs.54781.00 lakhs in October, 2008 and February, 2009 under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2057" - "खरीद - पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय" - 794.13 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 788.26 लाख रु. था।

(A) Major Head "2057" - "Purchase - DGS&D" - Rs.794.13 lakhs. Actual excess, however, was Rs.788.26 lakhs.

(खा) मुख्य शीर्ष "2407" -

(B) Major Head "2407"-

(क) "चाय - पुनरोपण के लिए आर्थिक सहायता - चाय बोर्ड" - 574.67 लाख रु.।

(a) "Tea - Subsidy for replantation - Tea Board" - Rs.574.67 lakhs.

(ख) "मसाले - अन्य व्यय - मसाला बोर्ड - 799.17 लाख रु.।

(b) "Spices- Other Expenditure - Spices Board" - Rs.799.17 lakhs.

(गा) मुख्य शीर्ष "3453" -

(C) Major Head "3453"-

(क) "निर्यात संवर्धन स्कीम का प्रशासन" -

(a) "Administration of Export Promotion Schemes" -

(i) "कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र" - 41.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 87.70 लाख रु. था।

(i) "Kandla Special Economic Zone" - Rs.41.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.87.70 lakhs.

(ii) "मद्रास निर्यात संसाधन क्षेत्र" - 69.20 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 60.96 लाख रु. था।

(ii) "Madras Export Processing Zone" - Rs.69.20 lakhs. Actual excess, however, was Rs.60.96 lakhs.

(ख) "निर्यात आर्थिक सहायता - अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को ब्याज आर्थिक सहायता" - 1252.00 लाख रु.।

(b) "Export Subsidy - Interest Subvention to Scheduled Commercial Banks" - Rs.1252.00 lakhs.

(ग) "निर्यात संवर्धन और बाजार विकास के लिए सहायता - निर्यात संवर्धन और बाजार विकास संगठनों को सहायता" - 14056.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 13547.54 लाख रु. था।

(c) "Assistance for Export Promotion and Market Development - Assistance to Export Promotion and Market Development Organisations" - Rs.14056.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.13547.54 lakhs.

(घ) "अन्य व्यय - कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण" - 1251.50 लाख रु.।

(d) "Other Expenditure - Agricultural Products Export Development Authority" - Rs.1251.50 lakhs.

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष "3451" - "सचिवालय - वाणिज्य विभाग" - 337.91 लाख रु. का अधिक व्यय (अक्टूबर, 2008 में प्राप्त किए गए 727.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 5037.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) छठे केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू किए जाने, किम्बरले प्रक्रिया प्रमाणन स्कीम, देशी सम्मेलन के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने और विश्व व्यापार संगठन के कारण ज्यादा विदेशी दौरे किए जाने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष "2407" -

(क) "चाय - अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमें" - 6000.00 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ख) "काफी - अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमें" - 600.00 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ग) "रबड़ - अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमें" - 2500.00 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(घ) "मसाले - अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमें" - 500.00 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(गा) मुख्य शीर्ष "3453" - "विदेश व्यापार नियंत्रण - विदेश व्यापार महानिदेशक" - 119.63 लाख रु. का अधिक

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "3451" - "Secretariat - Department of Commerce" - excess of Rs.337.91 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.5037.00 lakhs including supplementary grant of Rs.727.00 lakhs obtained in October, 2008) was due to requirement of additional funds towards implementation of Sixth Central Pay Commission Report, Kimberley Process Certification Scheme Country Conference and undertaking of more foreign tours on account of World Trade Organisation.

(B) Major Head "2407" -

(a) "Tea - Other Expenditure - Schemes for the benefits of the North Eastern Region and Sikkim" - excess of Rs.6000.00 lakhs (against nil provision);

(b) "Coffee - Other Expenditure - Schemes for the benefits of the North Eastern Region and Sikkim" - excess of Rs.600.00 lakhs (against nil provision);

(c) "Rubber - Other Expenditure - Schemes for the benefits of the North Eastern Region and Sikkim" - excess of Rs.2500.00 lakhs (against nil provision); and

(d) "Spices - Other Expenditure - Schemes for the benefits of the North Eastern Region and Sikkim" - excess of Rs.500.00 lakhs (against nil provision).

Excess under the above four heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(C) Major Head "3453" - "Foreign Trade Control - Director General of Foreign Trade" -

व्यय (अक्तूबर, 2008 में प्राप्त किए गए 1145.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 5876.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) छठे केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू किए जाने के कारण हुआ।

excess of Rs.119.63 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.5876.00 lakhs including supplementary grant of Rs.1145.00 lakhs obtained in October, 2008) was due to implementation of Sixth Central Pay Commission Report.

(III) दो शीर्षों के अंतर्गत 120.32 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक तथा स्वीकृत प्रावधान का 16 प्रतिशत और 229 प्रतिशत था।

(III) Under two heads excess of Rs.120.32 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs and constituting 16 percent and 229 percent of the sanctioned provision.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

4. In the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष Head	Head			
मुख्य शीर्ष "4552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas			
मू.	O.	5700.00	..	..
पु.	R.	-5700.00	..	..
मुख्य शीर्ष "5453" विदेश व्यापार तथा निर्यात संवर्धन पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5453" Capital Outlay on Foreign Trade and Export Promotion			
मू.	O.	53900.00	59800.00	59478.54
पू.	S.	1.00		
पु.	R.	5899.00		
मुख्य शीर्ष "5465" सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं में निवेश	Major Head "5465" Investment in General Financial and Trading Institutions			
मू.	O.	10000.00	..	..
पु.	R.	-10000.00	..	..

(I) 15700.00 लाख रु. का प्रावधान निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दो मामलों में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(का) मुख्य शीर्ष "4552" - "सामान्य - विदेश व्यापार पर पूंजीगत परिव्यय - अन्य व्यय - निर्यात अवसंरचना और अन्य अनुषंगी कार्यकलापों के विकास के लिए केंद्रीय सहायता संबंधी स्कीम" - 5700.00 लाख रु. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष "5465" - "सामान्य वित्तीय संस्थाओं में निवेश - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - ईसीजीसी" - 10000.00 लाख रु. निर्यात एवं ऋण गारंटी निगम को निधियों की आवश्यकता न होने के कारण थे।

5. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "5453" - "सामान्य - अन्य व्यय - निर्यात अवसंरचना और अन्य अनुषंगी कार्यकलापों के विकास के लिए केंद्रीय सहायता संबंधी स्कीम" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गई - 5624.89 लाख रु. का अधिक व्यय (51300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "4552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(I) Provision of Rs.15700.00 lakhs remained wholly unutilised in two cases under the following major heads:-

(A) Major Head "4552" - "General - Capital Outlay on Foreign Trade - Other Expenditure - Scheme for Central Assistance for Developing Export Infrastructure and Other Allied Activities"- Rs.5700.00 lakhs - due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(B) Major Head "5465" - "Investment in General Financial Institutions - Investment in Public Sector and Other Undertakings - ECGC" - Rs.10000.00 lakhs - due to non-requirement of funds by the Export and Credit Guarantee Corporation.

5. The above savings were partly offset by excess under Major Head "5453"- "General - Other Expenditure - Scheme for Central Assistance for Developing Export Infrastructure and Other Allied Activities" - excess of Rs.5624.89 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.51300.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "4552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.